प्रेषक,

संख्या-706/सैंतीस-2-2015-1(27)/2013

सुरेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-26 मार्च, 2015

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में निदेशालय हेतु आयोजनेत्तर पक्ष के मानक मद 14-मोटर गाड़ियों का क्रय में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति एवं वाहनों का क्रय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-263/सा0-2/27/309/भाग-दो/2014-15, दि0-09.03.2015 और पत्र संख्या-314/सा0-2/27/309/2014-15, दि0-16.03.2015 के संदर्भ में तथा शासनादेश सं0-961/सैंतीस-2-2014-1(27)/2013, दिनांक-03.04.2014 एवं शा0सं0-209/सैंतीस-2-2015-1(27)/2013, दिनांक-20.02.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय' के मानक मद 14-मोटर गाड़ियों का क्रय में अवशेष धनराशि रू0-468 हजार (रूपये चार लाख अड़सठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ-साथ उक्त मानक मद में स्वीकृत कुल धनराशि के सापेक्ष पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुये विभिन्न प्रकार के वाहनों के प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेन्ट) स्वरूप डी.जी.एस.एण्डडी. दरों पर नियमानुसार 03 डिजायर डीजल वी डी आई, बी.एस.-4 कारों के क्रय हेतु रू0-19,51,866/- (रूपये उन्नीस लाख इक्यावन हजार आठ सौ छाछठ मात्र) के व्यय, जोकि रू0-10.00 लाख से अधिक है, की प्रशासनिक स्वीकृति अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दि0-22.07.2014 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. प्रश्नगत वाहनों का क्रय परिवहन अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक-12 नवम्बर, 1986 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार अद्यतन डी.जी.एस.एण्डडी. दरों पर परिवहन विभाग का यथावश्यक परामर्श प्राप्त करते हुए ही किया जायेगा।
3. प्रश्नगत क्रय हेतु गुणवत्ता, वरीयता एवं मात्रा को सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, पशुपालन विभाग का होगा तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वाहनों को परिवहन विभाग के शासनादेश दि0-04.10.1997 में निहित व्यवस्था/मानदण्डों के अनुसार ही निष्प्रयोज्य/नीलाम किया गया हो।
4. उक्त वाहनों का क्रय किसी अन्य योजना से न किया गया हो अर्थात् क्रय की कार्यवाही में द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) न हो।
5. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में जमा न किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय।
6. वाहनों के क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो,

उन मामलों में व्यय करने से पूर्व शासन को पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

8. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्ध एवं शासकीय व्यय में मितव्यायेता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय-14-मोटर गाड़ियों का क्रय' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-290/दस-2015, दि0-26.03.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-706(1)/सैंतीस-2-2015- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, पशुपालन निदेशालय, बादशाहबाग, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी लखनऊ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।